

27.06.2026 - पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं
मूल वादी-पत्र राजीनामा अनुसार वाद पत्र
खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र खारिज होने के
कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह
जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी
उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

A

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

27.06.2026

